

डिक्री बमूकदमें इब्तादाई
(ओ 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अर्ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मेड़ता व इजलास श्री के.आर. चौहान आर.ए.एस.

वाद संख्या :- 447/18

वादी :- सग्राम पुत्र श्री सुखाराम, जाति जाट, निवासी जाजड़ावास, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. सुखाराम पुत्र श्री गंगाराम
2. घेवरी देवी पत्नी श्री सुखाराम फौत के कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 3 से 7
3. रामकुंवार पुत्र श्री सुखाराम
4. दीनाराम पुत्र श्री सुखाराम
5. मीसाराम पुत्र श्री सुखाराम
6. गोगाराम पुत्र श्री सुखाराम
7. दयालराम पुत्र श्री सुखाराम
जातियान जाट, निवासीगण जाजड़ावास
तहसील मेड़ता, जिला नागौर।
8. तहसीलदार, मेड़ता।
9. पटवारी हल्का, फलौदी।
10. बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा मेड़तारोड़।

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व बंटवाड़ा

अन्तर्गत धारा 53 व 88 आर.टी. एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 28-08-19

वाद वास्ते घोषणा खातेदारी व बंटवाड़ा मुकदमा 447 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबर हमारे व हाजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व वकील प्रतिवादीगण मिनजानिम मुदयलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व माफिक राजीनामा डिगरी दी जाती है कि वादी सग्राम के बंट में :- मौजा जाजड़ावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 117 रकबा 2.88 हैक्टेयर में से 1.44 हैक्टेयर दक्षिण दिशा में तथा खसरा नम्बर 137/296 रकबा 1.38 हैक्टेयर में से रकबा 0.26 हैक्टेयर पूर्वी दिशा की भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी। प्रतिवादी संख्या 1 सुखाराम के बंट में :- मौजा जाजड़ावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 117/299 रकबा 0.81 हैक्टेयर सम्पूर्ण व इसी खसरे से बीच में रकबा 0.02 हैक्टेयर का रास्ता छोड़कर सम्पूर्ण खसरा रखा गया है तथा उपरोक्त खसरा में प्रतिवादी संख्या 2 का भी बंट था परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 घेवरी के फौत हो जाने से उक्त खसरान में केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 सुखाराम का ही बंट है। प्रतिवादी संख्या 3 रामकुंवार के बंट में :- मौजा जाजड़ावास

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 136 रकबा 1.98 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी। प्रतिवादी संख्या 4 दीनाराम के बंट में :- मौजा जाजड़ावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 83 रकबा 1.42 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी। प्रतिवादी संख्या 5 मीसाराम के बंट में :- मौजा जाजड़ावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 118 रकबा 2.10 हैक्टेयर में से 1.01 हैक्टेयर उत्तरी दिशा में तथा रकबा 0.08 हैक्टेयर का रास्ता खसरा नम्बर 117/299 व खसरा नम्बर 117 में जाने के लिये छोड़कर तथा खसरा नम्बर 137/296 रकबा 1.38 हैक्टेयर में से 0.40 हैक्टेयर पश्चिम की तरफ की भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी। प्रतिवादी संख्या 6 गोगाराम के बंट में :- मौजा जाजड़ावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 117 रकबा 2.88 हैक्टेयर में से रकबा 1.44 हैक्टेयर उत्तरी दिशा तथा खसरा नम्बर 137/296 रकबा 1.38 हैक्टेयर में से रकबा 0.32 हैक्टेयर बीच की भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी। प्रतिवादी संख्या 7 दयालराम के बंट में :- मौजा जाजड़ावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 118 रकबा 2.10 हैक्टेयर में से रकबा 1.01 हैक्टेयर दक्षिणी दिशा में तथा खसरा नम्बर 137/296 रकबा 0.40 हैक्टेयर बीच की भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी। रास्ता की भूमि खसरा नम्बर 118 रकबा 2.10 हैक्टेयर में से रकबा 0.08 हैक्टेयर बीच में तथा खसरा नम्बर 117/299 रकबा 0.81 हैक्टेयर में से 0.02 हैक्टेयर बीच में रास्ता की जमीन वादी सग्राम व प्रतिवादी संख्या 6 गोगाराम के खेतों में आने-जाने हेतु रखी गई है, जो रास्ता खसरा नम्बर 117/299 की जमीन में आने-जाने के लिये रखा गया है।

तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो, अन्यथा आदेश नहीं हो, विधिक बाधा नहीं हो तथा भूमि रहन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे।

लीज..... मुबलिक..... बाबत.....
 खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर..... फोस सदी सालाना
 आज तारीख तारीख वसूलयोबो तक..... को अदा करे।
 बसीब पेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....
 माह..... सन् 20 19

दस्तखत  उपखण्ड अधिकारी
 मेड़ता (राज.)
 ओहदा.....

